

13-10-2014

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 ।

आरोपीगण सहित श्री आर.बी.पाठक अधिवक्ता ।

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है ।

आरोपीगण एवं फरियादी हीरा सोनी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.बी. पाठक द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा-320(2) एवं 320(8) दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है । प्रति ए.डी.पी.ओ. को प्रदान की गई ।

फरियादी/आहत हीरा सोनी स्वतः उपस्थित । उसकी पहचान श्री आर.बी. पाठक अधिवक्ता ने की । पहचान में संदेह नहीं है । प्रार्थी/आहत से पूछे जाने पर उसने स्वैच्छया पूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. के दण्डनीय अपराध में आरक्षी केन्द्र बिरसा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया है । न्यायालय द्वारा आरोप पत्र विरचित किया गया है, जिसमें आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अंतर्गत प्रकरण का विचारण किया जा रहा है । आरोपीगण द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय व राजीनामा योग्य है । राजीनामा आवेदन में व्यक्त किया गया है कि अब संबंध मधुर हो चुके हैं । फरियादी ने आरोपीगण से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है । उभयपक्ष राजीनामा करने में सक्षम है । राजीनामा करने में कोई विधिक रुकावट नहीं है । उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत हीरा सोनी को आरोपीगण से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरुद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है । फलतः आरोपीगण अनूज, आशीष, अशोक को धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति बांस की लकड़ी विधिवत् नष्ट की जावे ।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)